# पूर्व मध्य रेल
# संरक्षा बुलेटिन नं0 04/24

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं0 ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/04/24 दिनांकः 03.10.2024

विषयः दिनांक 27.07.24 को पं0 दीन दयाल उपाध्याय मंडल स्टेशन पर गाड़ी संख्या कोटा/24056 + 24022 का फ्रन्ट इंजन संख्या 24022/झांसी को कांटा संख्या 56/बी के पास अवपथन ।

2. संक्षिप्त विवरण :–

दिनांक 27.07.24 को पं0 दीन दयाल उपाध्याय मंडल के दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन के 'जी केबिन यार्ड के पास गाड़ी संख्या कोटा/24056 + 24022 के फ्रन्ट इंजन संख्या 24022/झांसी का कांटा संख्या 56/बी के पास दिल्ली इन्ड ट्रॉली के 4 चक्के का अवपथन हो गया । इस घटना में चक्के की ड्रैगिंग लगभग 31.30 मीटर तक हुई ।

2. प्रकियागत विफलताः–

दिनांक 27.07.24 को अवपथित इंजन के संबंध में हुई दुर्घटना जॉच से यह पता चला कि उक्त प्वांइट संख्या 56/बी का अंतिम प्वांइट एवं कॉसिंग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 20.07.24 को हुआ था जिसमें दाहिने हाथ तरफ के स्टॉक तथा टंग रेल में वीयर पाया गया था । सेक्शन पी.डब्ल्यू.आई द्वारा उक्त प्वांइट का रि–कंडीशनिंग कार्य किया जाना था । इस कार्य के लिए बिना यातायात विभाग को सूचना दिये और बिना अनुमति पाये संबंधित कांटे से संम्बद्ध वेल्डिंग/ग्राइडिंग कार्य किया जा रहा था । घटनास्थल पर बिना अनुमति के उक्त कॉटे से संबंधित वेल्डिंग/ग्राइडिंग का कार्य किये जाने के कारण टंग रेल के टॉप का सतह असमतल हो गया और परिणामतः इंजन अवपथित हो गया ।

अवपथन की ये घटना इसलिए घटित हुई, क्योंकि रेलपथ या रेलपथ के निकट किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों द्वारा अनुपालन नहीं किया गया । रेलपथ या निर्माण कार्य इत्यादि करने के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भारतीय रेल पथ नियमावली के अध्याय 8 के पारा 819 के निम्नलिखित सब – पारा में विस्तृत वर्णन है जिनका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया–

पारा 819 (3) जहां आवश्यकता हो वहां संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य के दौरान गुजरने वाली सभी गाड़ियों को सर्तकता आदेश जारी किया जाना चाहिए तथा झंडी तथा पटाखा के साथ गाड़ी के संरक्षा हेतु रेलकर्मी तैनात किया जाना चाहिए।

पारा 819 (7) इंजीनियर इंचार्ज गाड़ी, यात्रियों एवं कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा हेतु अपनाई जाने वाली कार्य पद्वति जारी करेगा तथा अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

इसके साथ ही सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 15.16 एवं उससे संबंद्ध सहायक नियम संख्या 15.16 (III) का अनुपालन नहीं किया गया था जिसमें कॉटे या कैंचियों को लगाने या हटाने से संबंधित अनुदेश दिये गये हैं ।

CamScanner

3. नियमों का अनुपालन एवं बरती जाने वाली सावधानियां:–

(I) भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भारतीय रेल पथ नियमावली के पारा 819 के उपरोक्त सब –पारा एवं पूर्व मध्य रेल के सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के अध्याय 15 के सामान्य नियम 15.08 के पारा 1, 2 एवं 3 में वर्णित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए । इसके साथ ही सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के अध्याय 15 के सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 15.16 का संपूर्ण रूप से अनुपालन अति आवश्यक है ।

(II) इसके अतिरिक्त संरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए प्रमुख मुख्य इंजीनियर/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर के द्वारा कार्य स्थल पर संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर जारी दिशा – निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाना चाहिए।

उक्त का सर्व सम्बन्धित द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। मंडलों के सम्बन्धित अधिकारीगण तथा पर्यवेक्षक नियमित तथा औचक निरिक्षण के समय इसका अनुपालन अवश्य देखें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो ।

(सुनील कुमार) 03.10.24
उप मुख्य संरक्षा अधिकारी/यातायात

प्रतिलिपिः–

7. महाप्रबंधक के सचिव– महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
8. अपर महाप्रबंधक, प्र0 मु0 परि0 प्र0, प्र0 मु0 इंजी0, प्र0 मु0 वि0 इंजी0, प्र0 मु0 सि0 एवं दू0 इंजी0, प्र0 मु0 यां0 इंजी0 – को सादर सूचनार्थ।
9. मु0 यां0 यो0 प्र0, मु0 या0 या0 प्र0, मुख्य ट्रैक इंजी0, मु0 सि0 इंजी0 , मु0वि0वि0इंजी0, मु0 वि0 लो0 इंजी0
10. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
11. वमसंअ0 वमपरिप्र0 वमंविई0 (टीआरडी), वमंविई0 (परि0), वमंसिदूई0, वमअभि0 (सम0/ )धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
12. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी।

CamScanner